सोशल मीडिया सेल आजमगढ़ पत्र सं0- 342/21 दिनांक- 20 जुलाई 2021

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u> थाना फूलपुर

पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रत्नेश कुमार सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व उ0नि0 कमलाशंकर गिरी मय हमराह का0 अरविन्द तिवारी ,का0 विनोद यादव के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 009/2021 धारा 363 ,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अमन विस्वकर्मा पुत्र स्व० सत्य प्रकाश विश्वकर्मा ग्राम खुरासों थाना फूलपुर आजमगढ़ रोडवेज करबा फूलपुर में खड़ा है व कही जाने की फिराक में वाहन का इन्तजार कर रहा है मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मौके से प्रस्थान कर कस्बा फूलपुर रोडवेज पर पहूँची मुखबिर खास मिला जिसने कुछ ही दूर खडे एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि साहब वही व्यक्ति है जो आपके मुकदमें में वांछित चल रहा है। पुलिस बल गुमटी/दुकानों की आड लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति के पास ही पहूंचे थे कि वह व्यक्ति पुलिस बल को अचानक देखकर तेज कदमों से सरायमीर की तरफ जाने वाले सडके पर जाना चाहा कि हमराही कर्मचारी गण की सहायता से 20-25 कदम जाते जाते घेरकर पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अमन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 सत्य प्रकाश विश्वकर्मा ग्राम खुरासों थाना फूलपुर आजमगढ़ बताया कि पूर्ण विश्वास होने पर कि मुकदमा बाला से सम्बन्धित अभियुक्त है दिनांक 20.7.21 को समय करीब 6.45 बजे बाकायदा बाजाफ्ता कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

सम्बन्धित मुकदमा –

मु0अ0सं0 009/2021 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अमन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 सत्य प्रकाश विश्वकर्मा ग्राम खुरासों थाना फूलपुर आजमगढ़उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

- 1. उ0नि0 कमला शंकर गिरी
- 2. का0 अरविन्द कुमार तिवारी
- 3. का0 विनोद यादव

<u>थाना-रौनापार</u> 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादी मुकदमा श्री मनोज पुत्र बालिकशुन सा 0 आराजी देवारा नैनीजोर नई बस्ती थाना रौनापार जिला आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर मु 030सं0 124/21 धारा 306 भादिव बनाम 1. श्यामकरन साहनी s/o गौतम साहनी 2- सोनू साहनी s/o गौतम साहनी 3- माता उर्मिला पत्नी गौतम साहनी 4- भाई सूरज 5- भाभी सुगंधा निवासीगण 30दे0 नैनीजोर नई बस्ती थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण , क्षेत्राधिकारी सगड़ी व प्रभारी निरीक्षक रौनापार के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ 0नि0 राकेश यादव मय फोर्स द्वारा दिनांक 20.07.2021 को खरैलिया ढाला के पास से समय करीब 11.05 बजे मु0अ0सं0 124/21 धारा 306 भादविथाना रौनापार जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त (1) श्यामकरन साहनी पुत्र गौतम साहनी सा 0 आराजी देवारा नैनीजोर थाना रौनापार आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

म्0अ0सं0 124/21 धारा 306 भादविथाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- (1) श्यामकरन साहनी पुत्र गौतम साहनी सा0 आराजी देवारा नैनीजोर (नई बस्ती) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार करने वाली पृलिस टीम:-
- 1. उ0नि0 राकेश यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 2. का0 रामनिवास यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ
- 3.का0 राहुल सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना- बरदह गोवध अधि0 में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.06.2021 को उ0नि0 बजरंग कुमार मिश्रा मय हमराह हे का0 मूलचन्द दूबे व का0 छोटेलाल के रवानाशुदा रफ्ता रपट रो0आम तारीखी इमरोजा से मु0अ0स0 143 /21 धारा 3/5ए/8 गोवध अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ की विवेचना में थाना हाजा से रवाना होकर थाना गेट पर पहुँचा थे कि मुकदमा उपरोक्त में बरामद बुलेरो पिकट नं0- UP 44AT 4967 की पंजीकृत स्वामिनी सरिता यादव पत्नी दुष्यन्त कुमार यादव निवासी ग्राम बरेहता थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर अपने चिचया ससुर सूर्यनरायण यादव व चालक राशिद अनवर के साथ उपस्थित थाना आकर उपरोक्त वाहन से सम्बन्धित कागजात जिसमें रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति जो पंजीयन अधिकारी सुल्तानपुर मोटर वाहन विभाग द्वारा प्रमाणित है , इंश्योरेंस जो दिनांक 23.01.2021 से 22.01.2022 तक की वैधता है , प्रदूषण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति एवं लिखित तहरीर विवेचक को प्रदान किये कि मुकदमा उपरोक्त की अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल , बरामद वाहन व गोवंश पशुओ की बरामदगी , अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट गोवंश पशु, अवलोकन प्रा0पत्र वाहन स्वामिनी सरिता यादव , बयान वाहन स्वामिनी, बयान गवाह व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में बोलेरो पिकप नं0- UP 44 AT 4967 का चालक राशिद अनवर पुत्र अब्दुल रशिद निवासी शंकरपुर थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर का नाम मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया। आज दिनांक 20.07.2021 को अभियुक्त बोलेरो पिकप नं0- UP 44 AT 4967 का चालक राशिद अनवर पुत्र अब्दुल रशिद निवासी शंकरपुर थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर वाहन स्वामिनी सरिता यादव व उनके चिया ससुर सूर्यनरायण यादव के साथ थाना गेट पर मौजूद मिला। जिसे अपराध का बोध कराते हुए मुकदमा उपरोक्त में समय करीब 11.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

<u>पंजीकृत अभियोग</u>-

मु0अ0स0 143 /21 धारा 3/5ए/8 गोवध अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त राशिद अनवर पुत्र अब्दुल रशिद निवासी शंकरपुर थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 बजरंग कुमार मिश्रा मय हमराह हे का0 मूलचन्द दूबे व का0 छोटेलाल

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 32 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।